


राजस्थान सरकार  
वित्त (ई.ए.डी.) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/PD Electronic/16481-17080 दिनांक 07/11/2017

परिपत्र

परिपत्र क्रमांक 8752-9202 दिनांक 30.09.2016, 1350-1590 दिनांक 21.04.2017, 10156-10556 दिनांक 11.08.2017 एवं 14633-15132 दिनांक 11.10.2017 में निम्नांकित प्रावधान भी सम्मिलित किये जाते हैं :-

1. उक्त वर्णित परिपत्रों में यथास्थान पर अंकित निजी निक्षेप/पी.डी. खाते शब्द के साथ निक्षेप खाते शब्द को भी पढ़ा जाये।
2. पी.डी. खातों के प्रशासकों द्वारा न्यायालयों के आदेशों के तहत एफ.डी.आर. बनाने एवं न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में राशि जमा कराने एवं वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14633-15132- दिनांक 11.10.2017 के अन्य निर्देश के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित निर्माण खर्चों के संव्यवहारों को छोड़ते हुए अन्य राजकीय विभागों को भुगतान की आवश्यकता होने पर ऑनलाइन पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस के आधार पर कोषालय द्वारा पी.डी. खातों के प्रशासक के पक्ष में कोष चैक जारी किया जावेगा। पी.डी. खाते/निक्षेप खातों से ऑनलाइन पेमेन्ट एडवाइस के आधार पर कोष चैक जारी करने हेतु संबंधित प्रशासक द्वारा कोष/उपकोष को अधिकृत सूचना उपलब्ध कराये जाने पर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के लॉगिन से चैक जारी करने हेतु सुविधा संबंधित पी.डी. खाता प्रशासक के लॉगिन में उपलब्ध कराई जायेगी।


  
(शशि राजपाल)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/PD Electronic / 16481-17081 दिनांक 07/11/2017

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. संभागीय आयुक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर
8. समस्त जिला कलक्टर
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी. एवं समन्वय) विभाग, सचिवालय, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को उक्तानुसार अक्षरशः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
17. श्री मनोज नागर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
18. श्री आई.डी. वरियानी एवं श्री ललित गोयल तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
19. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव